

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 मार्च 2019—फाल्गुन 14, शक 1940

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2019

क्र. 4-2-2019-चौवन-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, हज समिति अधिनियम, 2002 (क्र. 35) की धारा 17 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 18 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश हज कमेटी का गठन कर निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:—

क्र. (1)	नाम (2)	पिता का नाम (3)	पता (4)
1	श्री नफीस मंशा खान	स्व. श्री अख्तर परवेज साब खान	बुरहानपुर
2	श्री समीर खान	स्व. श्री गुलमीर खां	बैतूल
3	श्री आमिर अकील	स्व. श्री अकील अहमद	भोपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.